

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कं.क्र./भू.रू./2015/राजस्व/

दिनांक:- 28.05.2015

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान, दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान) के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान, दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम- ज्ञानदासपुरा ग्रा.पं. दांता तह. दांतारामगढ(सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 522/2 रकबा 0.57 है.			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	सडक हेतु खुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व.मीटर)
		522/2	0.57	-	2500
		Total	0.57	-	2500
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)			
5	संदेय प्रीमियम की दर	20 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 50000-			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 116 दिनांक 28.05.2015 से रुपये 50000-			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	नेशनल रोड कांग्रेस के नियमानुसार सडक सीमा छोडकर			

प्राधिकृत प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

दांतारामगढ

प्रतिलिपि लिपिक

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

.....2.....

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose ,withont valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशाुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
11. उक्त संपरिवर्तन आदेश का पंजीयन एक माह के भीतर उप पंजीयक, दांतारामगढ से करवाना आवश्यक होगा।

प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ)

दिनांक:-28.05.2015
29

क्रमांक/भूमि रूपा./2015/राजस्व/ 1758-63
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत दांता
- 4 पटवारी हल्का दांता तह. दांतारामगढ।
- 5 उप पंजीयक, दांतारामगढ।
- 6 श्री कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान, दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)
- 7 रक्षी पत्रावली

प्रमाणित प्रतिलिपि


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

- 1.रजिस्टर संख्या 19 दिनांक 16.3.17
 - 2.पत्रावली संख्या 24/16/17 दिनांक 17.5.17
 - 3.प्रार्थी का नाम 29.5.15 उपखण्ड अधिकारी
 - 4.आवेदन पत्र देने का दिनांक 15.3.17
 - 5.तैयार करने की तिथि 16.3.17
 - 6.रद्द करने की तिथि
 - 7.देने की दिनांक 16.3.17
- स्टाम्प 2-00

प्रतिलिपि लिपिक



मकल नम्बरा 1376
 ग्राम - दांता
 तहसील - दांता



1. रजिस्टर संख्या 19 दिनांक 16.3.17
 2. पत्रावली संख्या 21 परिपत्र संख्या 1758-63
 3. प्रार्थी का नाम सुदेश कुमार
 4. आवेदन पत्र देने की तिथि 15.3.17
 5. तैयार करने की तिथि 16.3.17
 6. रद्द करने की तिथि
 7. देने की तिथि 16.3.17
- स्टाम्प

प्रमाणित प्रतिलिपि
 इकाया अधिकारी
 प्रतिलिपि लिपिक

सत्य प्रतिलिपि
 हस्ताक्षर पटवारी
 पटवार बाबूदास लोला
 तहसील दांता तहसील दांता सीकर (राज.)

संख्या रजिस्ट्रार 10-35 ले
 B. No. 2948 दिनांक 17.3.17
 उप खण्ड अधिकारी दांतासामगढ़
 तहसीलदार दांतासामगढ़ (सीकर) राज

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कंमाक/भूरू./2017/राजस्व/

दिनांक:- मार्च, 2017

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता आधार नं0	कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. आधार नं0 766598083288			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम ज्ञानदासपुरा प.मं. दांता तह. दांतारामगढ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 1091/522 रकबा 0-57 है. किस्म चाही-4 में से 0.25 हे. यानि 2500 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	खुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व. मीटर)
		1091/522	0-25	0	2500
		Total	0-25	0	2500
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ			
5	संदेय प्रीमियम की दर	5/- प्रति वर्गमीटर एवं 15/- नियमितिकरण			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	जीआरएन 0015676667 दिनांक 17.03.2017 तादादी 16,100/- रुपये (रूपांतरण शुल्क 12,500/- व 240 व0मी0 नियमितिकरण 3600/-)			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हाँ			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	-			

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक .f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

दिनांक:- 28 मार्च, 2017

क्रमांक/भूमि रूपा./2017/राजस्व/ 1734-78

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान. जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत, दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
- 4 पटवारी हल्का दांता तह. दांतारामगढ़।
- 5 कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री. राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. जिला सीकर राज.
- 6 रक्षी पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़


दांतारामगढ़

क. जमिन - जवझा ट्रेल ग्राम - दौता तहसील - दान्तारामगढ

जिल्हा - सीकर राज - १९२९-९० सन्वत् - २०२६

पैजाळा - १ से. मी. = १० मी.

मातः



P-35 फसोन 3327

पैकोक 28.03/2

CS
882

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी

TEHSILDAR पटवार जमल दौता
DANTARAMGARH तहसील दौता तहसील

[Signature]

३३/३/२०२६
दौता तहसील

TEHSILDAR
DANTARAMGARH

हस्ताक्षर पटवारी



GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

Certificate Ref. No: LC/2021-22/118990

Date: 01-06-2022

FORM-B

[See Rule 9(3),(4) and (6)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, DANTARAMGARH**
CONVERSION ORDER

On the application of **KANHAIYA LAL HARITWAL SHIKSHAN SANSTHAN S/O SURESH KUMAR SHARMA** of village **GYANDAS PURA** Tehsil **DANTA RAMGARH**, agricultural land held by him in his khatadari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenants:	Father's/ Husband's Name:	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc..)	Complete Address
1	KANHAIYA LAL HARITWAL SHIKSHAN SANSTHAN	SURESH KUMAR SHARMA	GENERAL	GYANDAS PURA, DANTA, DANTA RAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN-332702

1. Details of the Land converted:

- (a) Name of the village/Gram Panchayat/Tehsil: **GYANDAS PURA/DANTA/DANTA RAMGARH**
(b) Khasra No. of the land: **1134/1085**
(c) Area of each Khasra No. (in square meter): **700**
(d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **700**
(e) Area converted (in sq. meter): **700**

2. Purpose of Conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**

3. Conversion type (Sub Category): **INSTITUTIONAL PURPOSE**

4. Rate of conversion charges payable (₹): **5.68/-**

5. Premium deposited (₹): **3976/-**

(a) Advance Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **265/-, 09/05/2022, 22443645086**

(b) Remaining Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: **3711/-, 31/05/2022, 22449296924**

6. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**

7. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**

8. Whether the order issued under Rule 13 for regularization: **NO**



Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

Terms and Conditions

The above conversion order shall be subject to the following conditions: -

- i. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.
- ii. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period or extended period, if any, specified in rule 14 of these rules, the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- iii. No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
- iv. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.

